उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 529/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून: दिनांक: 29 जून, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,--

(एक) संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन; और

(दो) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी,

को इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(क) संयुक्त राष्ट्र या कोई विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र या उस विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त राज्य कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार किसी ऐसे प्रमाणपत्र के अध्यधीन होंगे कि माल और सेवाओं का उपयोग संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासकीय उपयोग के लिए किया गया है या उपयोग किया जाना आशयित है ।

(ख) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त राज्य कर के प्रतिदाय का दावा करने के निम्नलिखित के अध्यधीन हकदार होंगे,-

(एक) कि भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यथा अनुध्यात यथा अनुबंधित राज्य कर के प्रतिदाय के लिए हकदार होंगे;

(दो) कि सेवाओं की पूर्ति की दशा में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद का प्रमुख या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसी मिशन या पद का कोई व्यक्ति उसके द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल वचनबंध यह कथन करते हुए देगा कि सेवा की पूर्ति उक्त विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद के शासकीय प्रयोजन

के लिए या उक्त राजनयिक अभिकर्ता या कैरियर कौंसलीय अधिकारी या उसके कुटुंब के सदस्यों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्राप्त की गई है ;

(तीन) कि माल की पूर्ति की दशा में संबंधित राजनयिक मिशन या कौंसल या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी यह प्रमाणपत्र पेश करेगा कि,

(एक) माल का उपयोग मिशन या कौंसल के लिए, यथास्थिति, रखा गया है या किया जा रहा है;

(दो) माल की पूर्ति आगे नहीं की जाएगी या माल की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व माल का अन्यथा व्ययन कर दिया जाएगा; और

(तीन) खंड (एक) की अननुपालना की दशा में राजनयिक या कौंसलीय मिशन उसको संदत्त रकम के प्रतिदाय का वापस संदाय करेगा ;

(चार) उस दशा में जब भारत में किसी भी विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा उसे तत्पश्चात् प्रत्याहरण करने का विनिश्चय किया जाता है तो उस विदेशी राजनयिक मिशन कौंसलीय पद ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण को संसूचित किया जाएगा ।

(पाँच) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को शासकीय प्रयोजन के लिए या उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उनके कुटुंब के सदस्यों के उपयोग के लिए प्रदत्त राज्य कर का संपूर्ण प्रतिदाय ऐसे प्रमापत्र के प्रत्याहरण की तारीख से उपलब्ध नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसे उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध लागू होते हैं ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

([illegible])
प्रमुख सचिव

सं0 <u>५४१</u>/2017/9(120)/XXVII(8)/2017तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 – आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दे।

2 – निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियें इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3 – भषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4 – अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5– एन0आई0सी0

6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notifcation No. 529 / 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.529/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 29 June, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest,

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 55 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor is pleased to allow to specify,

(i) United Nations or a specified international organisation; and
(ii) Foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein,

for the purposes of the said section subject to the following conditions:-

(a) United Nations or a specified international organisation shall be entitled to claim refund of State tax paid on the supplies of goods or services or both received by them subject to a certificate from United Nations or that specified international organisation that the goods and services have been used or are intended to be used for official use of the United Nations or the specified international organisation.

(b) Foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein shall be entitled to claim refund of State tax paid on the supplies of goods or services or both received by them subject to, -

(i) that the foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein, are entitled to refund of State tax, as stipulated in the certificate issued by the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, based on the principle of reciprocity;
(ii) that in case of supply of services, the head of the foreign diplomatic mission or consular post, or any person of such mission or post authorised by him, shall furnish an undertaking in original, signed by him or the authorised person, stating that the supply of services received are for official purpose of the said foreign diplomatic mission or consular post; or for personal use of the said diplomatic agent or career consular officer or members of his/her family;

(iii) that in case of supply of goods, concerned diplomatic mission or consulate or an officer duly authorized by him will produce a certificate that,

(I) the goods have been put to use, or are in the use, as the case may be, of the mission or consulate;

(II) the goods will not be supplied further or otherwise disposed of before the expiry of three years from the date of receipt of the goods; and

(III) in the event of non-compliance of clause (I), the diplomatic or consular mission will pay back the refund amount paid to them;

(iv) in case the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, after having issued a certificate to any foreign diplomatic mission or consular post in India, decides to withdraw the same subsequently, it shall communicate the withdrawal of such certificate to the foreign diplomatic mission or consular post;

(v) the refund of the whole of the State tax granted to the foreign diplomatic mission or consular post in India for official purpose or for the personal use or use of their family members shall not be available from the date of withdrawal of such certificate.

Explanation. - For the purposes of this notification, unless the context otherwise requires, "specified international organisation" means an international organisation declared by the Central Government in pursuance of section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities Act) 1947 (46 of 1947), to which the provisions of the Schedule to the said Act apply.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary